

संशोधित आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 12466/2016 मो0 यूसूफ (नर्सग्रेड-द्वितीय 2013 की भर्ती से संबंधित) बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2017 के विरुद्ध डी0बी0 अपील दायर करने हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक प. 6(20236)/निचिस्वा/विधि/2017/709 दिनांक 15.06.2017 के द्वारा श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सहवन से महाधिवक्ता नियुक्त किया था, के स्थान पर श्री कान्ती लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पढ़ा जावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक :- 28-6-17

क्रमांक: प.3(20236) निचिस्वा/विधि/2017/740

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव (विधि एवं विधिक कार्य) विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में श्री कान्ती लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को पैरवी हेतु की गई नियुक्ति का अनुमोदन कराने का श्रम करावें।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय को निर्णय दिनांक 27.03.2017 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवाकर संबंधित केस प्रभारी अधिकारी को भिजवायें ताकि उनके द्वारा माननीय न्यायालय में समय पर जवाब प्रस्तुत कराया जा सकें।
3. प्रभारी अधिकारी केस संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर को निर्णय दिनांक 27.03.2017 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में अविलम्ब, श्री कान्ती लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से समस्त सुसंगत अभिलेख सहित तुरन्त सम्पर्क कर उक्त याचिका में विभाग की ओर से जवाबदावा/प्रतिरक्षण की कार्यवाही करावें एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण में डी0बी0 याचिका की प्रति निदेशालय को भिजवावें, साथ ही प्रत्येक सुनवाई दिनांक को माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही/प्रगति से एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत कराते रहें।
4. डॉ0 बी एम स्वर्णकार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जोधपुर कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन-जोधपुर।
5. श्री कान्ती लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
7. सूचना सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण का इन्द्राज लाईट्स पर कर पालना से अवगत करावें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।